(1)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक 93/प्र0अ0–भवन/जोन–1/शमन/2012-13 दिनांक 17/03/2015

विनियमितीकरण–पत्र

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर नर्सिंग होम/आवासीय भवन का निर्माण विनियमित किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार का किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

डा0 अनुज गुप्ता एवं डा0 अमित गुप्ता द्वारा भवन संख्या–69/39 सी0वाई0 चिन्तामणि मार्ग, भूखण्ड सं0–11/2 जार्ज टाउन इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल नर्सिंग होम/आवासीय भवन का विनियमितीकरण मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 28.02.2015 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
1. यह स्वीकृति अन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर के वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
2. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
3. स्थल पर 40 अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों की रख–रखाव रखने का दायित्व आवेदकगण का होगा।
4. स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयत्र की स्थापना आवश्यक रूप से की जायेगी।
5. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण करवाकर भू–गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा।
6. मेडिकल वेस्ट का निस्तारण अनिवार्य रूप से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट एवं हैण्डलिंग रूल्स 1998 अथवा अन्य प्रभावी नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय तथा समय–समय पर नवीनीकरण भी कराया जाय।
7. नर्सिंग होम में संक्रामक रोग का इलाज निषिद्ध होगा, इस हेतु दिये गये शपथ पत्र दिनांक 27.02.2015 का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या–627/STCE/15 दिनांक 06.01.2015 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
9. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या– 2014/5601/इला0/इलाहाबाद/65/सी0एफ0ओ0 दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 में अंकित प्रतिबन्धो का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)

–2/–

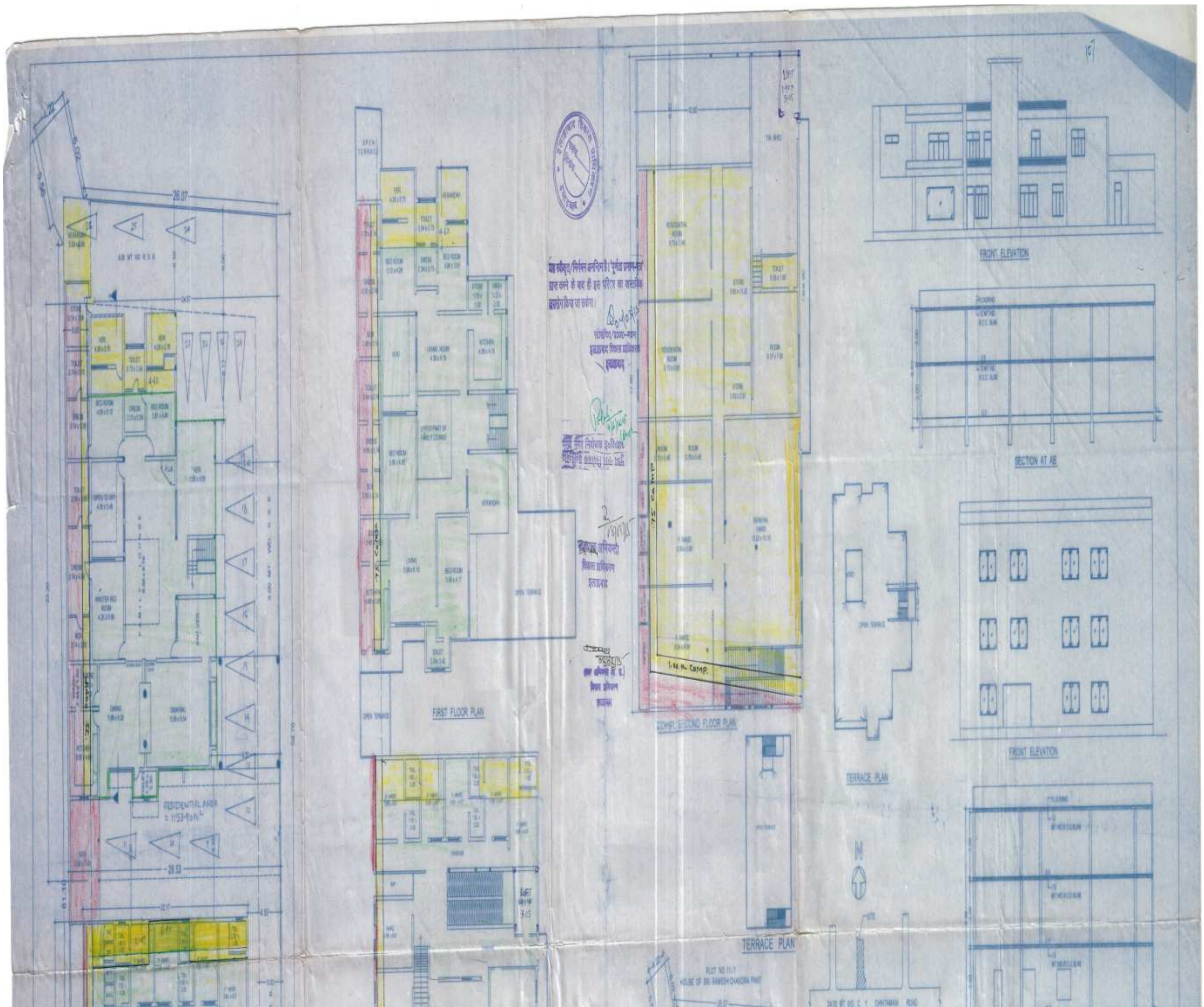

GROUND FLOOR PLAN
FIRST FLOOR PLAN
SECOND FLOOR PLAN
TERRACE PLAN
SITE PLAN
KEY PLAN N.T.S.
SECTIONAL ELEVATION
FRONT ELEVATION
SECTION AT AB
SECTION AT A B
AREA DETAIL OF RESIDENTIAL PLOT :-
LIME CONC. IN FOUNDATION
FLOORING OVER R.C.C. SLAB
TOTAL PLOT AREA
COVERED AREA ON F.F. = 479.78 M²
OPEN AREA ON G.F.
MUMTY AREA
NO. OF CAR PARKING = 3 NOS
AREA DETAIL OF NURSING HOME :-
LIME CONC. IN FOUNDATION
FLOORING OVER R.C.C. SLAB
TOTAL PLOT AREA = 1462.77 M²
COVERED AREA ON G.F.
COVERED AREA ON F.F.
COVERED AREA ON S.F.
OPEN AREA ON G.F.
MUMTY AREA
NOS. OF CAR PARKING
TOTAL AREA OF LAND
TOTAL RESIDENTIAL AREA
TOTAL NURSING HOME AREA = 1462.77 M²
EXISTING WORK SHOWN THUS
COMPOUNDING WORK SHOWN THUS
DISMENTIL WORK SHOWN THUS
EXISTING AND COMPOUNDING BUILDING PLAN FOR RESIDENTIAL AND NURSING HOME OF HOUSE NO.69 / 39 AT C.Y. CHINTAMANI ROAD ON PLOT NO. 11 / 2 GEORGE TOWN ALLAHABAD.
SCALE 1:100
OWNER :-
DR. ANIL KUMAR GUPTA
S/O DR. P.C. GUPTA
DR. PREETI GUPTA
W/O DR. ANIL KR. GUPTA
DR. AMIT GUPTA
DR. ANUJ KR. GUPTA
S/O DR. ANIL KR. GUPTA
Er. V. K. Mishra
B.Tech. Civil
AM-149007-0
Vinay Engineers Associate